



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न० ५०/१९

तारीखरजु:- ३/१/१९

उनवान:- अमन बनाम रामधन वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा २१२

दिनांक	फर्द अहकाम
३/१/१९	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक १३/०८/२०१९ तक विवादग्रस्त आराजी ख० न० २२०/०.४४, ९१८/०.६२, ९१९/०.०१, ९२०/०.५७, ९२१/०.४६ हे० ग्रम खानपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार टोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश ३९ नियम (३) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक १३.०८.२०१९ को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
१५.७.१९	<p>प्रार्थी वकील की ओर से प्रार्थना पत्र बापत पक्षकारान में रजिनामा दो जेते से मुकदमा खारिज करने पेश कले पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी वकील ने Not Press कर मुकदमा खारिज कले का कथन किया। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not-Press में खारिज किया जात ही पत्रावली फैलल शुमा होकर नम्बर से वम होकर दाषा पत्रावली केलसप हीलज रहे।</p> <p style="text-align: right;">  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

अमन

Not Press

१५/७/१९